छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक /1425/ वित्त / ब–4 / चार   नया रायपुर, दिनांक 23.12.2016

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
इन्द्रावती कोषालय, नया रायपुर / जिला कोषालय ....
छत्तीसगढ़

विषय :– वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के लिए अनुदेश

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/ 1103 / वित्त / ब–4 / चार, दिनांक 18.11.2015

–––000–––

वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार ₹25 लाख तथा उससे अधिक के देयक संचालक बजट से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही पारित करने के निर्देश दिये गये थे।

वर्तमान में उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए, अनुमति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अनुसार ₹25 लाख या उससे अधिक के देयकों का कोषालय / उपकोषालय में ई–कोष अंतर्गत विस्तृत विवरण दर्ज (Detail Entry) किये जाने के पश्चात् उक्त देयक का समस्त विवरण ऑनलाइन अनुमति हेतु उपलब्ध होगा । इसके पश्चात् देयक पारित करने हेतु अनुमति प्रदाय की जावेगी, इस हेतु दूरभाष / फैक्स / ई–मेल के माध्यम से पृथक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन अनुमति प्रदाय किये जाने के पश्चात् ही ई–कोष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ₹25 लाख या उससे अधिक के देयक नियमानुसार पारित किये जा सकेंगे। अनुमति प्रदाय किये जाने की जानकारी http:\\ekoshonline.cg.nic.in वेबसाईट में Admin Login option पर जाकर पूर्व में Treasury Login हेतु दिये गये User-id एवं Password के माध्यम से Login कर प्राप्त की जा सकती है।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक / 1426 / वित्त / ब–4 / चार   नया रायपुर, दिनांक 23.12.2016

प्रतिलिपि :–

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव